अतिमहत्वपूर्ण

संख्याः 4562/नौ-4-11-75ज/2002

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-4

लखनऊः दिनांकः 02 सितम्बर, 2011

विषय-नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3189/नौ-4-11-75ज/02, दिनांक-27.06.2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों में तैनात अधिशासी अधिकारियों (प्रवर सेवा के अधिकारियों को छोड़कर) पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मण्डल के अंतर्गत जनहित में स्थानांतरण हेतु संबंधित मण्डलायुक्त को अधिकृत किया गया है।

2. उल्लेखनीय है कि कार्मिक अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1/3/96-का-4-2011, दिनांक-14.05.2011 द्वारा निर्गत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति वर्ष 2011-2012 के अनुसार सामान्य स्थानान्तरण पर रोक है, विशेष परिस्थितियों में शासन की अनुमति से स्थानान्तरण किये जा सकते हैं।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मण्डल स्तर पर उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जाने से पूर्व शासन की अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

दुर्गा शंकर मिश्र
प्रमुख सचिव।

.....2/-.

G.O. Press, Secy. U.P.

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त अपर आयुक्त(प्रशासन)/पदेन अपर निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र.।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ.प्र.।
3. नगर विकास अनुभाग-1
4. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) 9वां तल, बापू भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।